ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 174305 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सेवा दास	01-04-15 से लगातार

सचिव:

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति कांता कुमारी	01.04.2015 से 31-03-18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	37.54
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.25

3	9	लम्बी अवधि से चले आ रहे नगद शेष का संभावित दुरूपयोग	0.07
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.78
5	11	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना	0.50
6	12	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:	5.91
7	13	जांच हेतु बिल/ वाउचरों को उपलब्ध न करवाना	1.59

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-09-2018 से 20-09-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	05/2015	07/2015
2016-17	05/2016	03/2017
2017-18	03/2018	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-79 दिनांक 20/09/2018 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को के०सी०सी०बैंक के

माँग ड्राफ्ट संख्या: 211606 दिनांक 26-09-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:-

ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	496625	239731	736356	23596	712760
2016-17	712760	316849	1029609	40641	988968
2017-18	988968	598356	1587324	103246	1484078

(2) अनुदान:-

ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत बडसर, विकास खण्ड बिझड़ी के बैंक खातों में

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	444546.50	2125945.00	2570491.50	1650850.00	919641.50
2016-17	919641.50	3939981.00	4859622.50	1789720.00	3069902.50
2017-18	3069902.50	3713262.00	6783164.50	3028673.50	3754491.00

अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB BARSAR	GCB- A	20011007197	1484078.00
2	KCCB BARSAR	GCB-B	20011006987	292436.00
3	PNB BARSAR	14^{TH} FC	2528000100176875	3086388.04
4	CANARA BANK BARSAR	14^{TH} FC	5068101001358	336024.00

5	KCCB Barsar	IWMP	50053639268	38746.00
6	KCCB BARSAR	IWMP	50051847614	897.00
	TOTAL BALANCE			**5238569.04**
	CASH IN HAND			00
	G.TOTAL			**5238569.04**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	1484078.00
अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	3754491.00
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थितिअनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**5238569.00**
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**5238569.04**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत नगद शेष	00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत नगद शेष सहित कुल बैंक शेष	**5238569.04**
अंतर की राशि	**00**

5.1 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना: -

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ संव्यवहार की तारीख पर आय और व्यय की प्रत्येक मद के साथ-2 की जाएंगी। जांच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ वास्तविक व्यवहार की तिथि को न करके भुगतान की गई राशि की प्रविष्टि संबन्धित बैंक पास बुक में प्रविष्टि की तिथि को की गईं थीं, जोकि नियमानुकूल न होने के कारण आपतिजनक है। उदाहरण स्वरूप बैंक पास बुक अनुसार दिनांक 13-07-15 को निकाली गईं राशियों की रोकड़ बही में प्रविष्टि दिनांक 15-07-15 को की गई थी, माह 01/2018 के लिए ₹14,112 की मस्ट्रोल अदायगी दिनांक 15.02.18 को की गई थी, जबकि इस संव्यवहार की प्रविष्टि सामान्य रोकड़ बही खाता "क" व "ख" पेज 25 पर वाउचर संख्या 66 के तहत दिनांक 28.02.2018 को की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख व रजिस्टरों में बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग की गई थी, जबकि उक्त नियम प्रावधानानुसार अधिलेखन और मिटाना सर्वथा निषिद्ध था। नियमानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख लिखी जानी अपेक्षित थी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय प्राधिकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन नियम प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इस प्रकार रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट

/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "भविष्य में ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी तथा हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख डाली जाएगी।" अत: रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इनका निर्माण तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6 व 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। जबकि खाता -क एवं खाता -ख के लिए एक ही रोकड़ बही का संधारण किया गया है, जिसके कारण किसी भी स्तर पर गल्ती होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹37.54 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹37,54,491 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं

से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / करने हेतु अनुरोध क्या गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि “दिनांक 31-03-18 तक शेष अनुदान ₹37,54,491 का उपयोग बजट प्रावधाननुसार शीघ्र कर लिया जाएगा।“ अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख/अंकेक्षण के दौरान प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु ₹24,500 शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि “दिनांक 31-03-18 तक बकाया पंचायत राजस्व की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी।“ । अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(1) मोबाइल टावर शुल्क

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16		12500	12500	13000	-500
2016-17	-500	12500	12000	0	12000
2017-18	12000	12500	24500	0	24500
टावरों की संख्या : - 05	दिनांक 01-04-15 को बकाया राशि का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।				

नोट: - मोबाइल टावरों की इन्स्टालेशन तथा दिनांक 01-04-15 को बकाया राशि संबंधी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही इस संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध कारवाई गई कि ये टावर किस-2 कंपनी के हैं, किस-2 की भूमि पर, किस-2 तिथि से स्थापित हैं आदि तथ्यों का प्रमाण उचित स्त्रोत से/(भूमि मालिकों से) एकत्रित करते हुए तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

9 लम्बी अवधि से चले आ रहे हस्तगत शेष ₹0.07 लाख का संभावित दुरूपयोग :-

रोकड़ वही खाता”क” व “ख” पेज 1 से 121 के अनुसार दिनांक 09-04-14 से 31-03-17 तक ₹4,742 व ₹2,601 को क्रमश: गत नगद शेष सचिव हरिपाल व नगद शेष खाद्यान्न के रूप में

दर्शाया है जिसका तथ्यों तथा आंकड़ों सहित औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त राशियों को सम्बन्धित से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.78 लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना:-

अंकेक्षण में वाउचरों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/ स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें, आपूर्ति आदेश, इंडेंट इत्यादि) प्रावधित है। **परिशिष्ट "2" में टिप्पणी-1** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹48,217** के स्टॉक/स्टोर का क्रय हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 के प्रावधानों के अनुसार न करके एवं निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। स्टोर/ स्टॉक का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22-09-2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा व्यय वाउचरों पर संबन्धित स्टॉक/स्टोर रजिस्टर का नाम, पेज संख्या/क्रम संख्या की सत्यापित entry दर्शाते हुये सम्पूर्ण अभिलेख का संबन्धित रजिस्टरों एवं माप पुस्तिकाओं से क्रास संदर्भ स्थापित करना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय की गई ₹0.50 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित थाI परन्तु पंचायत के अवधि 04/15 से 3/18 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "2"** की टिप्पणी-2 में दिये गए विवरणानुसार ₹50,012 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था और न ही नियम 72(2) की अनुपालना के समर्थन में कोई रिटर्न/संबन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया l इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय सामग्रियों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है। मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग/खपत की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा तैयार व प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट व स्वत: अंतर्विष्ट नहीं था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "भविष्य में कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय सामग्रियों को स्टॉक में दर्ज करके दिखाया जाएगा।" l अत: पंचायत/ विभागीय स्तर

पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

12 ₹5.61 लाख के निर्माण कार्यों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 04/2015 से 03/2018 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट "2" को टिप्पणी-3 में दिये गए विवरणानुसार** दर्शाये गये भुगतान ₹5,61,100 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

13 ₹1.59 लाख के बिल/वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाना : -

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "2"** की टिप्पणी-4 में दिये गए विवरणानुसार ₹1,59,005 के बिल/वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाने के कारण उनके विरूद्ध व्यय राशियों की पुष्टि नहीं हो सकी। अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख जांच के दौरान न्यूनतम समय का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्रास रेफ्रेंसिंग सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

14 बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

अंकेक्षण में बिल/वाउचरों में क्रय/किराय पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप, मेक/मॉडल इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "भविष्य में उक्त विशिष्टताओं का ध्यान रखा जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यय की न्यायसंगतता की पुष्टि हो सके।" अत: उक्त बिल/वाउचरों के तहत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा विभागीय जांच उपरांत बिल /वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में क्रय हेतु खर्च की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में भी क्रय करते समय बिल/वाउचरों में चार्ज दरों को पूर्ण न्यायसंगत ठहराने हेतु आवश्यक विशिष्टताओं का समर्थित अभिलेख में उल्लेख करना/करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम नियम 37 फार्म-11 में बजट प्राक्कलन तैयार करवा लिए जाएंगे।" अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

16 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ बिना भुगतान आदेशों के ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उलंघना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "नियमानुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर भविष्य में प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे।" अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए अथवा इन सभी संदायों/भुगतानों की सूची बनाकर इस अनियमितता को सक्षम/उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो

कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए अनुदान आदेश की प्रति BDO कार्यालय से लेकर उपलब्ध करवा दी जाएगी।" इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

18 विविध अनियमितताएं : –

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(1) बिल रजिस्टर का निर्माण न करना:–

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार संदायों के लिए सभी दावे प्ररूप 13 में बनाये जाने बाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्ट नहीं किये जा रहे हैं। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "नियमानुसार सभी दावे प्ररूप 13 में बनाये जाने बाले बिल रजिस्टर में दर्ज कर लिए जाएंगे।" । अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्ररूप 13 में तैयार बिल रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

(2) उपस्तिथि नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना कर ली जाएगी।" अत: उक्त आश्वासनानुसार उपस्तिथि नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

19 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था

का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन अध्याय 11 के नियमानुसार किया जाएगा।" अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

20 मैंटेनेंस ऑफ अकाउंटस

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के अनुसार पंचायत सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि सभी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ओर से धन प्राप्त करते हैं, ऐसी रीति से उचित लेखे बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आपतियों के मध्यनजर लेखे तथा समर्थित अभिलेख और सही ढंग से रखे जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तुत अभिलेखों की स्थिति से वर्तमान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के अनुसार ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट दिखाये जाएंगे।" अत: भविष्य में लेखे ऐसी रीति से बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों। अधिलेखन,कटिंग व फ्लुइड के प्रयोग से बचें तथा यदि अभिलेख में कोई शुद्धि करनी पड़ती है तो हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(4) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना सुनिश्चित करें।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31,72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि "उक्त नियम प्रावधानों अनुसार सभी अभिलेख व रजिस्टर

भविष्य में रखे जाएंगे l” अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0 रजिस्टर का प्रकार/विवरण प्रारुप सन्दर्भित नियम

1 रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)

2 विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर 7 34
हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997

3 अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज
(सामान्य) नियम, 1997 8 34

4 बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर

5 प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33, 77
(4)

6 बजट प्राक्कलन 11, 12 37, 38

7 अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)

8 लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों
का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1) ख

9 मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (ग)

10 तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी
आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)

11 लिवरी आर्टिकल्स का जांच पड़ताल रजिस्टर।

12 गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।

13. मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का
उचित रख-रखाव न करना। 102

14 माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(v) 15
वर्गीकृत सार 8 29 (4)

22 प्रत्यक्ष-सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्द्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ई-मेल के माध्यम से क्रमांक GPB-11/2018 दिनांक 24-09-2018 को उत्तर दिया कि “पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार किया जाएगा।“ अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण (मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)70/2018 खण्ड–1–8059 –8062 दिनांक 4.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046